REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 512]
 नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2018/श्रावण 08, 1940

 No. 512]
 NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2018/ SHRAVANA 08, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2018

सा.का.नि.709(ब).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जब इस अधिसूचना की प्रतियॉ, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध करा दी जाती है से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

 इन प्रारूप नियमों की बाबत, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव(परिवहन), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 को नियत समय की अन्दर भेजे जा सकेंगें।

 केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वीक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपवंधित के सिवाय ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।

 केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 125(ड.) में, उप–नियम (4) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा :– "परन्तु कि इस नियम में निहित कुछ भी एन श्रेणी के वाहन या कृषि ट्रैक्टर–ट्रेलर पर लागू नहीं होगा जिसमें अधिकतम

दो दुग्ध जानवरों को उनके बछड़ों के साथ स्थानीय परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है।"

[फा.सं. आर.टी.11036 / 24 / 2014–एम.वी.एल.] अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पणः– मूल नियम सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और सा.का. नि. (अ), तारीख द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2018

G.S.R. 709(E).—In The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) are hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi-110001, within the period specified above;

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period so specified, will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (______ amendment) Rules, 2018.
 - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for the proviso to sub-rule (4) of rule 125E, the following shall be substituted, namely: -

"Provided that nothing contained in this rule shall apply to a N category vehicle or an agricultural tractor-trailer, used for local transport of maximum of two milch animals along with their calves.".

[F.No. RT-11036/24/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R.(E) dated